क्रम-संख्या-273

361

रजिस्टर्ड नं॰ ए॰ डी॰-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 19 नवम्बर, 1976

कार्तिक 28, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 4823/सत्रह-वि-1- ·137-76

लखनऊ, 19 नवम्बर, 1976

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 17 नवम्बर, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38, 1976)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4 में— अधिनियम संख्या 19, 1950 की धारा 4 का संशोधन

(1) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(7) राज्य सरकार संहत निधि से दिनांक 18 अगस्त, 1976 को दस करोड़ रुपए की धनराशि निकालेगी और 4 अक्तूबर, 1976 को दस करोड़ रुपए की एक और धनराशि निकालेगी तथा उसे इस निधि में जमा कर देगी।"

(2) वर्तमान पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :—

"राज्य की संहत निधि से धनराशियों का निकाला जाना और उन्हें आकस्मिकता निधि में जमा करना।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25, 1976 तथा 30, 1976 का निरसन तथा अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 तथा उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानो यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था।

No. 4823/XVII-V-1—137-76

Dated Lucknow, November 19, 1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Akasmikata Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 38 of 1976), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 17, 1976:

THE UTTAR PRADESH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. Act no. 38 of 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950. U. P. Act XIX of 1950.

It is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1976.

Amendment of section 4 of U.P. Act XIX of 1950.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950—

(i) *after* sub-section (6), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(7) The State Government shall withdraw, on August 18, 1976, a sum of ten crores of rupees, and on October 4, 1976, withdraw a further sum of ten crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place the same to the credit of the Fund."

(ii) *for* the existing marginal heading, the following shall be *substituted*, namely :—

"Withdrawal of sums out of the Consolidated Fund of the State and credit thereof to the Contingency Fund."

Repeal and Savings.

3. (1) The Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 1976 and the Uttar Pradesh Contingency Fund (Second Amendment) Ordinance, 1976 are hereby repealed. U. P. Ordinance no. 25 of 1976 and 30 of 1976.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 363 सा० (विधा०)—3478—1976—750 (मे०)।